न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/220

मितेष आत्मज कृष्ण कुमार जाति– खण्डेलवाल महाजन निवासी– मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा राज० हाल मकान नम्बर 342, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. कस्तुरी बाई बेवा सूरजमल जी, जाति– खण्डेलवाल महाजन निवासी– मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा, राजस्थान
2. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा, राजस्थान

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री वीरेन्द्र राठौड़, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 की ओर से।

निर्णय दिनांक: 31.07.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रैट दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 102/09 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीनी रेस्पो0 द्वारा एक वाद पेश किया गया कि वादीनी के पति सूरज मल आत्मज भंवरलाल जी महाजन के खाते में ग्राम मोरपा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 114 रकबा 0–0300 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0–0300 हेक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 2–3400 हेक्टर, खसरा नम्बर 145 रकबा 11900 हेक्टर, खसरा नम्बर 154 रकबा 1–4400 हेक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 10000 हेक्टर उत्तरी, खसरा नम्बर 155 रकबा 1–4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1–0000 हेक्टर उत्तरी, खसरा नम्बर मिन 460/1 रकबा 2–9100 हेक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 10200 हेक्टर कुल 9 किता रकबा 11–3700 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादीनी के पति सूरज मल जी अपने जीवन काल तक बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु पश्चात् वादीनी काबिज काश्त चली आ रही है। यह कि वादीनी व उसके पति के कोई सुलबी औलाद नहीं होने के कारण प्रतिवादी नं० 1 वादीनी के पति की सम्पति को हड़पने के लिये कुछ समय के

लिये उनसे अच्छा व्यवहार करने लग गया जिस कारण वादीनी के पति को विश्वास हो गया कि प्रतिवादी नं० 1 वादीनी व उंसके पति की सेवा करेगा। इस पर वादीनी के पति द्वारा दिनांक 3–12–2001 को एक वसियत प्रतिवादी नं० 1 के नाम आलेखित कर सब रजिस्ट्रार दीगोद के यहां पंजीयन करवादी। उक्त वसियत होने के बाद में प्रतिवादी नं० 1 द्वारा वादीनी व उसके पति के साथ दुव्यर्वहार करने लग गया तथा बात बात पर कहने लग गया कि उक्त जमीन की वसियत मेरे नाम हो गयी है मैं इसे अपने खाते बन्धवा लूंगा । वादीनी तथा उसके पति की सेवा देख भाल आदि करना प्रतिवादी नं० 1 द्वारा बन्द कर दिया इस पर वादीनी के पति द्वारा प्रतिवादी नं० 1 के व्यवहार को देखते हुये उक्त वसियत जो वादीनी के पति के पास थी, उसकी पुश्त पर दिनांक 13–11–2004 को उक्त वसियत निरस्त करदी। इस प्रकार उक्त वसियत निरस्त होने से प्रतिवादी नं० 1 वादीनी के पति की सम्पति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखता है। वादीनी के पति सूरज मल जी का देहावसान दिनांक 25–01–2005 को ग्राम मोरपा में हो गया और उनकी मृत्यु के बाद वादीनी के पति द्वारा छोडी गयी समस्त चल व अचल सम्पति की मालिक व काबिज वादीनी चली आ रही है तथा वादीनी के पति की मृत्यु के बाद वादीनी ही उक्त भूमि की एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा खातेदार घेषित होने की अधिकारिणी है। उपरोक्त वर्णित आराजी से प्रतिवादी नं० 1 का कोई सम्बन्ध नहीं है क्यों कि सूरज मल जी द्वारा अपने जीवन काल में प्रतिवादी नं० 1 के पक्ष में लिखी वसियत को कैंसिल कर चुके है इस कारण प्रतिवादी नं० 1 को उक्त वसियत के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। किन्तु इसके बावजूद भी उक्त निरस्त वसियत के आधार पर प्रतिवादी नं० 1 वादीनी को उक्त भूमि से बेदखल करने कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने तथा उक्त भूमि जो वादीनी के पति के नाम दर्ज चली आ रही है को, अपने नाम खाते दर्ज कराने पर आमादा है जिसका कि उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नं० 1 के मन में बदनियती आ गयी है ओर प्रतिवादी नं0 1 ने वादीनी को उक्त भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व उक्त भूमि को उक्त वसियत के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने की. दिनांक 31–8–2007 को धमकी दी, इस पर वादीनी द्वारा दिनांक 1–9–07– को तहसीलदार दीगोद के यहां अपने नाम फोती इंतकाल दर्ज करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो पटवारी हल्का को उसी दिन भेजा गया । प्रतिवादी नं० 1 उक्त कैंसिल वसियत के आधार पर उक्त आराजियात को अपने नाम दर्ज करवाने पर आमादा है तथा वादीनी को उसके कब्जे काश्त की भूमि पर बेदखल करने पर आमादा है । जिससे वादीनी को यह भय व आशंका पैदा हो गयी है कि प्रतिवादी नं० 1 कभी मी वादीनी को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल कर सकता है व भूमि अपने नाम दर्ज करवा सकता है। जिससे वादीनी घर से बेघर हो जावेगी तब वादीनी का वृद्धावस्था में जीवन निर्वाह किया जाना कठिन हो जावेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीनी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी नं० 1 के खिलाफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया। अतः वादीनी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर प्रार्थना की कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी नं० 1 के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि वादीनी को ग्राम

मोरपा तहसील दीगोद की उक्त विवादित आराजी का मृतक खातेदार की विधवा पत्नी व वारिस होने से खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं. 1 ग्राम मोरपा तहसील दीगोद की उक्त विवादित आराजी से वादीनी को बेदखल नहीं करे तथा वादीनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे और न उपरोक्त भूमि को किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करावे। साथ ही प्रतिवादी नं. 2 को निर्देश दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने व मुकदमें का खर्चा वादीनी को प्रतिवादी नं. 1 से दिलाए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2018 को वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम मोरपा तहसील दीगोद स्थित खसरा नम्बर 114 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 2.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 145 रकबा 1.19 हैक्टेयरर, खसरा नम्बर 154 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 1.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460/1 रकबा 2.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 1.02 हैक्टेयर कुल किता 9 रकबा 11.37 हैक्टेयर भूमि का वादीनी को मृतक सुरजमल की पत्नी होने से खातेदार घोषित किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 का काउंटर क्लेम खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.06.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.06.2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.06.2018 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिकी अदालत कैम्प मोरपा में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित की गई थी, जिसकी अपीलान्ट को

कोई जानकारी नही थी, और ना ही अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता कैम्प मोरपा में उपस्थित हुए, उक्त प्रकरण में निरन्तर कार्य स्थगित की सील ऑर्डरशीट पर देकर तारीखे दी जाती रही हैं, तथा उक्त प्रकरण मूल रूप से शहादत वादी में नियत था, उक्त प्रकरण को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने बाबत् अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को नोटेड भी नही कराया गया। और इसी कारण उक्त निर्णय व डिकी की अपीलान्ट को जानकारी नहीं हो सकी और ना ही अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कोई जानकारी दी गई जबकि न्यायालय ए.डी. जे. कम– 2 के द्वारा दिनांक– 12.07.2010 को यथास्थिति का आदेश पारित कर रखा हैं, रेस्पोडेन्ट कम 1 ने निर्णय डिकी दिनांक– 05.06.2018 की पालना लम्बे अन्तराल के बाद नही कराई गई। इस कारण भी जानकारी नही हुई। अपीलान्ट दिनांक– 17.08.2022 तहसील में जमाबन्दी की नकल लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट कम 1 ने उक्त निर्णय व डिकी की पालना में इन्तकाल खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा है, जिस पर अपीलान्ट ने तुरन्त सर्च कर नकल आवेदन प्रस्तुत किया, और दिनांक– 19.08.2022 को अपीलान्ट को नकल मिलने पर बाद जानकारी के अनुसार अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। इसलिये उक्त देरी को कन्डोन किया जाना आवश्यक है। उक्त देरी सद्भाविक एवं क्षम्य योग्य है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई विलंब अवधि का क्षम्य करते हुए अपील की विधिवत सुनवाई करवाये जाने के लिए निवेदन किया।

7. हमने अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट का कथन रहा है कि लोक–अदालत में उनकी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं थी। चूंकि अपीलांट लोक–अदालत में उपस्थित नहीं थे तथा बीच में काफी समय तक न्यायालय काफी समय तक नियमित रूप से नहीं चले। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य अधिकारों के प्रश्न को लेकर निर्णय होना है। अतः न्यायहित मे अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुई विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय एवं डिकी विधि, न्याय, संचिता व कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को साध्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना अदालत कैम्प गोरपा में निर्णय व डिकी पारित करने में त्रुटि की है, और अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया कि उक्त वाद खातेदारी घोषणा का है, जिसमें मिश्रित एवं विधिक प्रश्न निहित है। ऐसे प्रकरण में बिना

तनकीयात् कायम किये व पक्षकारों को साक्ष्य का अवसर दिये बिना निर्णय पारित करने विधि की भूल की परिधि में आता है, इसलिये ऐसा निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम– 1 का 212 आर. टी. एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.04.2008 को खारिज किया जा चुका है, और उक्त प्रार्थना पत्र भी रजिस्टर्ड वसीयत होने के आधार पर खारिज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट कम–1 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कम– 2 कोटा में वाद संख्या 395/14 वसीयत दिनांक– 03.12.2001 को रिवोकेशन हेतु वाद प्रस्तुत कर रखा है, ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जब तक वसीयत का रिवोकेशन नहीं हो जाता, तब तक रेस्पोडेन्ट कम 1 को एक मात्र उत्तराधिकारी व वारिसान के आधार पर अधिकार घोषित किये जाने का कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि न्यायालय ए. डी.जे. कम– 2 कोटा में लम्बित वाद के साथ संलग्न अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन क्रमांक– 06/2008 में दिनांक 12.07.2010 को विवादित वसीयत में निहित सम्पत्ति के बाबत् यथास्थिति का आदेश पारित कर रखा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि जब तक वसीयत का रिवोकेशन नहीं हो जाता, तब तक रेस्पोडेन्ट कम 1 को खातेदार घोषित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम को वारिसान के आधार पर खातेदार घोषित किया है, जबकि यदि कोई पंजीकृत दस्तावेज अस्तित्व में हो तो उस परिस्थिति में वारिसान के आधार पर इन्तकाल नही खोला जा सकता। हमने काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया परन्तु अलग से इसकी अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक ही अपील में अधीनस्थ न्यायालय के विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.06.2018 को चुनौती दी है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट कम 01 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि स्वर्गीय सूरजमल जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के पक्ष में की गई वसीयत प्रभाव शून्य है। स्वर्गीय सूरजमल द्वारा दिनांक 03.12.2001 को निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 13.11.2004 को निरस्त हो चुका है। स्वर्गीय सूरजमल की मृत्यु के पश्चात वादिनी का कब्जा है। अपीलांट का सूरजमल की भूमि पर कब्जा नहीं है। वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या स्वयं काबिज व मालिक है। सूरजमल जी के जीवनकाल में विवादित भूमि पर सूरजमल जी काश्त करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। यद्यपि सूरजमल द्वारा दिनांक 13.11.2004 को वसीयतनामा निरस्त कर अपने हस्ताक्षर कर गवाही गवाहान करवाकर निरस्त करवा दी है। वादिया की वसीयत निरस्ती का कथन सत्य है। अपीलांट स्वयम् मनगढन्त एवम् झूंठे तथ्य पेश कर रहा है जो स्वीकार योग्य नहीं है । स्व० सूरजमल जी द्वारा 11–1–2005 को कोई शपथ

पत्र तैयार नहीं करवाया है और न ही शपथ पत्र पर स्वर्गीय सूरजमल जी के हस्ताक्षर है । शपथ पत्र कूट रचित, फर्जी एवम् बनावटी है, जिससे निरस्तीशुदा वसीयत को वापस वसीयत नहीं माना जा सकता दिनांक 13–11–2004 को वसीयतनामा निरस्त किया था, बिना दाब दबाव स्वस्थ चित से पढ़कर समझ कर हस्ताक्षर किये थे तथा स्वर्गीय सूरजमल जी के कहने से सुरेश नाटाणी ने गवाही की थी तथा गवाहो की मौजूदगी में नोटरी पब्लिक से वसीयत निरस्तीकरण का असल वसीयत पर पृष्ठांकन करवाकर सूरजमल जी ने सुरेश नाटाणी के हस्ताक्षर करवाये थे तथा पृष्ठांकन का नोटरी पब्लिक आलोक जोहरी से तस्दीक करवाया था इस प्रकार वसीयत निरस्त करवादी गई थी। वसीयतनामा प्रभावशून्य है तथा वादिनी के हितों के विपरीत बेअसर है । अपीलांट स्वर्गीय सूरजमल की सम्पत्तियों का मालिक नहीं है । धारा 70, 1925 के अनुसार एवं उतराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल में कभी भी वसीयत निरस्त कर सकता है तथा उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, इसलिये प्लेन पेपर पर भी वसीयत निरस्त की जा सकती है। वसीयत निरस्तीकरण पर स्वयं निरस्तकर्ता एवम् गवाह के हस्ताक्षर है तथा नोटरी पब्लिक से तस्दीक हो रही है। इस कारण वसीयत निरस्त है, लिखावट में नई वसीयत होने की बात स्वीकार है, परन्तु वादिनी प्राकृतिक उत्तराधिकारी धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है, इस कारण समस्त सम्पति की मालिक है स्वम् काबिज है । लिखावट प्रभाव शुन्य नहीं है । फर्जी व बनावटी नहीं है बल्कि सही है। एस० के० नाटाणी , के गवाह के रूप में स्वयम् स्व० सूरजमल जी ने वसीयत निरस्त करके अपने हस्ताक्षर कर गवाह के हस्ताक्षर करवाये है जो सही हैं। अपीलांट के सामने स्वर्गीय सूरजमल जी ने वसीयत निरस्त कर नोटरी से तस्दीक करवाया है, लिखावट फर्जी व बनावटी नहीं है। स्वर्गीय सूरजमल जी को मानसिक अवस्था ठीक थी, अपना भला बुरा स्वयं समझते थे तथा स्वयं सूरजमल जी ने वसीयत नामा निरस्त करवाकर स्वयं के हस्ताक्षर मय फोटो के किये थे, इसलिये प्रभावशुन्य नहीं है नोटरी पब्लिक द्वारा निरस्तीकरण की लिलावट व हस्तावार दोनों अटैस्टेड हैं । इस कारण वसीयत निरस्त है। निरस्त की लिखावट बाद में नहीं बनायी है बल्कि स्व० सूरजमल जी के द्वारा निरस्त की लिखावट को पढ़कर हस्ताक्षर किये हैं तथा गवाही गवाहान करवाई है। इस कारण लिखावट फर्जी नहीं है। स्वर्गीय सूरजमल जी दुवारा सूचना रजिस्ट्रार हीनोद को निरस्तीकरण वसीयत उनके जीवनकाल में ही भेज दी गई थी । रेस्पोडेन्ट संख्या 1, स्व० सूरजमल जी की हिन्दू उत्तराधिकार की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त सूरजमल के अन्य कोई वारिस मौजूद नहीं है । वसीयत दिनांक 3–12–2001 को स्वर्गीय सूरजमल जी द्वारा इसी वसीयत पर 13–11–2004 को इसी वसीयत को निरस्त करने का पृष्ठांकन करके निरस्त कर दिया है । क्योंकि सम्पत्तियां सूरजमल जी की स्वअर्जित नहीं है बल्कि पुश्तैनी हैं । इस कारण समस्त सम्पत्तियों की मालिक एक मात्र उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 है। अपीलांट को निरस्त शुदा वसीयत के आ धार पर किसी तरह के एक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण वह माननीय न्यायालय से किसी तरह की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं

है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने इनके काउंटर क्लेम के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। अतः तकनीकी रूप से इनकी अपील पोषणीय नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 13.03.2008 के अनुसार अपीलांट प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा व काउंटर क्लेम भी पेश किया गया। दिनांक 21.08.2008 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। दिनांक 25.07.2012 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली में तनकीयात विरचित की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.08.2012 नियत की गई। दिनांक 23.08.2012 से दिनांक 17.01.2018 तक भिन्न–भिन्न तारीख पेशियों में पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी। पत्रावली पर लगातार मुहर लगाकर आगामी तारीख पेशी दी गई। तथा साक्ष्य में विचाराधीन रहते हुए दिनांक 07.02.2018 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी पहले तो दिनांक 18.04.2018 अंकित की फिर पुनश्च करते हुए पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.06.2018 लोक अदालत केम्प मोरपा में नियत की गई। आदेशिका दिनांक 07.02.2018 पर उभय पक्षकारान के न तो हस्ताक्षर है और न ही दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की उपस्थिति अंकित है, केवल वादिनी के अधिवक्ता को उपस्थित अंकित किया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई सम्मन नोटिस/सूचनापत्र संलग्न नहीं है जिससे पत्रावली लोक अदालत में नियत किये जाने के संबंध में पक्षकारान को सूचना/नोटिस दिया जाना अंकित हो। उभयपक्षकारान के मध्य दिनांक 05.06.2018 को पत्रावली में कोई राजीनामा भी संलग्न नहीं है। पत्रावली को लोक–अदालत मे नियत दिनांक 05.06.2018 की आदेशिका पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। दिनांक 05.06.2018 की आदेशिका में भी अंकित है कि वकील वादनी उपस्थित। अर्थात न तो प्रतिवादी उपस्थित थे न ही प्रतिवादी के अधिवक्ता लोक–अदालत में उपस्थित हुए। इस प्रकार लोक–अदालत में सभी पक्षकारान का उपस्थित नहीं होना स्पष्ट प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान की अनुपस्थिति में तथा बिना किसी विधिवत राजीनामें के आधार पर प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित की है। निर्णय दिनांक 05.06.2018 से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत निर्णय राजीनामा के आधार पर नहीं अपितु एकपक्षीय बहस सुनकर गुणावगुण के आधार पर लोक–अदालत में किया गया है। आदेशिका दिनांक 05.06.2018 पर भी न तो वादी के हस्ताक्षर है तथा न ही प्रतिवादी के हस्ताक्षर अंकित है। लोक–अदालत के प्रावधानों मे स्पष्ट है कि विधिक प्रकिया की पालना करते हुए उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विधिवत् राजीनामा के आधार पर ही डिक्री जारी की

जा सकती है। लोक–अदालत के तहत प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 पारित की गई है, जो लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा लोक–अदालत में निर्धारित प्रकिया की पालना भी नहीं की गई। प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। लोक–अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण होता है, जिनमें उभयपक्षकारन की ओर से विधि सम्मत रूप से राजीनामा प्रस्तुत होता हो। हस्तगत प्रकरण मे पक्षकारान की ओर से न तो कोई राजीनामा प्रस्तुत हुआ और न ही लोक–अदालत में उभयपक्षकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक–अदालत की प्रकिया व प्रावधानों की पालना नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2018 लोक–अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2018 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर, विधि सम्मत रूप से नवीन सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु 28.08.2023 को उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा